

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

फाईल सं.17-02(Reports)/2023-HR III

दिनांक : 27.04.2026

कार्यालय ज्ञापन/ OFFICE MEMORANDUM

विषय: महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निर्देशों का अनुपालन - PoSH अधिनियम के अंतर्गत उपायों के संबंध में।

**Subject: Compliance with directions of the Parliamentary Standing Committee on the Empowerment of Women- Measures under PoSH Act-reg.**

सीएसआईआर के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.01.2026 के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति (PCEoW) ने अपनी 09 अप्रैल 2026 को आयोजित अध्ययन यात्रा के दौरान CSIR-NCL, पुणे के साथ संवाद किया।

In continuation of CSIR OM of even number dated 27.01.2026, the undersigned is directed to state that the Hon'ble Parliamentary Standing Committee on the Empowerment of Women (PCEoW), during its study visit conducted on 09th April 2026, held interactions with CSIR-NCL, Pune.

इन विचार-विमर्श के दौरान, माननीय समिति ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संविदा कर्मियों (महिलाओं) को उनके अधिकारों के संबंध में व्यापक सूचना प्रसार एवं विधिक जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया।

During the course of these deliberations, the Hon'ble Committee laid significant emphasis on empowering contractual staff (women) through enhanced information dissemination and legal awareness regarding their rights under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाएं, संस्थान एवं इकाईयाँ संवेदनशील वर्गों, जैसे संविदा कर्मियों तथा सफाई कर्मियों के लिए विशेष जागरूकता एवं सशक्तिकरण सत्र आयोजित करेंगी। अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ये सत्र आवश्यक रूप से स्थानीय भाषा में आयोजित किए जायें। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि ये विशेष सत्र मई माह में श्रम दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाएं।

Accordingly, it has been decided that all CSIR Labs, Institutes and Units shall organize dedicated awareness and empowerment sessions specifically for vulnerable groups, such as contractual staff, and cleaning staff. To ensure maximum outreach, these sessions must be conducted in the local language. Furthermore, it has been decided that these special sessions shall be held in conjunction with **Labour Day in the month of May.**


कृ. प. प. / P.T.O.

सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाएं/संस्थान/ इकाईयाँ इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार आंतरिक निर्देश जारी करें।

All Labs/Institutes/Units of CSIR shall ensure strict compliance and may issue necessary internal instructions accordingly.

इसे सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the Competent Authority, CSIR.



(अनीता सिंह/ Anita Singh)

वरिष्ठ उप सचिव/ Sr. Deputy Secretary

सेवा में/ To,

1. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/एककों के निदेशक/प्रमुख / O/o Directors/Heads of all CSIR Labs/Instts./Units
2. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o DG, CSIR
3. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय / O/o Financial Advisor, CSIR
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o JS (A), CSIR
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o Chief Vigilance Officer, CSIR
6. विधि सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o Legal Advisor, CSIR
7. अवर सचिव (केन्द्रीय कार्यालय) / Under Secretary (Central Office)
8. सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीएसआईआर – सीएसआईआर की बेवसाईट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने के अनुरोध के साथ / IT Division, CSIR Hqrs.- with the request to upload the OM on CSIR website.
9. कार्यालय प्रति / Office Copy